कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा अक्टूबर २०१८ माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

i. कर्मचारी चयन आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्य) भर्ती नियमावली, 2018 के संबंध में अधिसूचना दिनांक 18.10.2018 की अधिसूचना सं. 39021/03/2018-स्था(ख) के माध्यम से जारी की गई।

ii. इस विभाग के अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा दिनांक 25 अक्तूबर, 2018 को पिलंजी गांव, नई दिल्ली में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया था।

iii. महाराष्ट्र संवर्ग के संबंध में भारतीय पुलिस सेवा के पदों से संबंधित भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग कार्यबल संख्या नियतन) द्वितीय संशोधन विनियम, 2018 दिनांक 16.10.2018 की राजपत्र अधिसूचना सं. 11052/04/2017-एआईएस-।।(क) के माध्यम से अधिसूचित किए गए।

iv. महाराष्ट्र संवर्ग के अंतर्गत भारतीय पुलिस सेवा के पदों से संबंधित भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) द्वितीय संशोधन नियम, 2018 दिनांक 16.10.2018 की राजपत्र अधिसूचना सं. 11052/04/2017-एआईएस-।।(ख) के माध्यम से अधिसूचित किए गए।

v. ओडिशा राज्य सरकार के अंतर्गत भारतीय पुलिस सेवा के पदों से संबंधित भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तृतीय संशोधन नियम, 2018 दिनांक 18.10.2018 की राजपत्र अधिसूचना सं. 11052/10/2017-एआईएस-।।(ख) के माध्यम से अधिसूचित किए गए।

vi. मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति (एसीसी) ने विभिन्न अनुसूची 'क' और 'ख' के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) में 16 मामलों में (1 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक और 14 प्रकार्यात्मक निदेशक) नियुक्तियों को अनुमोदित किया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न अधिकरणों/सांविधिक निकायों/आयोगों में अध्यक्षों/सदस्यों की तीस (30) नियुक्तियों, स्वायत्त निकायों/संस्थानों में मुख्य कार्यकारियों की आठ (08) नियुक्तियों, समयपूर्व प्रत्यावर्तन के दो (02) प्रस्तावों, मंत्रियों के निजी सचिव/विशेष कार्य अधिकारी की नियुक्ति के एक (01) प्रस्ताव, समय विस्तार के बारह (12) प्रस्तावों, कार्यकाल में कमी करने के चार (04) प्रस्तावों, नियुक्तियों (गैर-सीएसएस) के चार (04) प्रस्तावों और पुनर्नियुक्ति के चार (04) प्रस्तावों को मंत्रिमंडल सचिव/मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत प्रस्ताव देकर 4 अधिकारी प्रतिधारित किए गए।

vii. कर्मचारी चयन आयोग ने निम्नलिखित दो परीक्षाओं के अंतिम परिणामों की घोषणा की है :

(क). कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिक, इलेक्ट्रिकल तथा मात्रा सर्वेक्षण एवं संविदा) परीक्षा, 2017 जिसमें भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में नियुक्ति हेतु कुल 341 उम्मीदवारों की अंतिम रूप से संस्तुति की गई है।

(ख). दिल्ली पुलिस, सीएपीएफ में उप निरीक्षक तथा सीआईएसएफ में सहायक उप निरीक्षक परीक्षा, 2017 जिसमें दिल्ली पुलिस तथा गृह मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा 3353 उम्मीदवारों की अंतिम रूप से संस्तुति की गई है।

viii. कर्मचारी चयन आयोग ने दो अखिल भारतीय मुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए परीक्षा नोटिस प्रकाशित किए हैं, नामतः-

(क). आशुलिपिक 'ग' एवं 'घ' परीक्षा, 2018

(ख). कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक और वरिष्ठ हिंदी अनुवादक तथा प्राध्यापक परीक्षा, 2018

ix. पीईएसबी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 04 (चार) पदों के लिए विज्ञापन निकाला था | अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक के लिए 02 (दो) पद और निदेशक के लिए 02 (दो) पद|

x. 19 तदर्थ अवर सचिवों और 07 अनुभाग अधिकारियों को दिनांक 16.10.2018 को नियमित अवर सचिवों के रूप में पद्दोन्नत किया गया।

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, विभिन्न विषयों पर इस विभाग द्वारा निम्नलिखित अनुदेश/दिशा-निर्देश/ स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं:

क). दिनांक 18.10.2018 के का.ज्ञा. सं. 31011/8/2017-स्था.(क)-IV के माध्यम से सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के पश्चात एलटीसी के प्रयोजनार्थ सरकारी कर्मचारियों की यात्रा संबंधी हकदारी के संबंध में स्पष्टीकरण।

ख). दिनांक 11.10.2018 के का.ज्ञा. सं. 49014/2/2014-स्था.(ग)-भाग-I के माध्यम से अस्थायी अनियत कामगारों के एनपीएस अंशदान को उनके जीपीएफ खातों में अंतरित करने संबंधी तौर-तरीकों के विषय में स्पष्टीकरण।

ग). दिनांक 26.10.2018 के का.ज्ञा. सं. 4/3/2017-स्था.(वेतन-I) के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों के वेतन स्तरोन्नयन (स्टेप अप) के संबंध में समेकित दिशा-निर्देश।

घ). दिनांक 01.10.2018 के का.ज्ञा. सं. एबी-14017/30/2011-स्था.(आरआर) के माध्यम से उन संगठित समूह 'क' सेवाओं के बैचों से संबंधित अधिकारियों के लिए उच्चतर वेतनमान प्रदान करने संबंधी अनुदेश जो आईएएस अधिकारियों से दो वर्ष अथवा उससे अधिक वरिष्ठ हैं और जिन्हें अब तक ग्रेड विशिष्ट में पद्दोन्नत नहीं किया गया है।

ङ). दिनांक 11.10.2018 के का.ज्ञा. सं. 11013/4/2018-स्था.(क-III) के माध्यम से प्रशासन तथा सांसदों एवं राज्य के विधायकों के साथ सरकारी कार्य व्यवहार के दौरान समुचित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करने के संबंध में निदेश।

च). दिनांक 11.10.2018 के का.ज्ञा. सं. 31011/10/2017-स्था.क- IV के माध्यम से लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा संचालित जहाजों पर लक्षद्वीप के स्पोटर्स (सोसाइटी फार प्रमोशन नेचर टूरिज्म एण्ड स्पोटर्स) यात्रा पैकेज की स्वीकार्यता के संबंध में निर्देश।

छ). दिनांक 18.10.2018 के का.ज्ञा. सं. 2/15/2017-स्था.(वेतन-II) के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों अथवा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित और इनके द्वारा नियंत्रित निकायों में संवर्ग वाह्य पदों पद केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति/संवर्गेत्तर सेवा में स्थानांतरण से संबंधित दिनांक 17.06.2010 के का.ज्ञा. सं. 6/8/2009-स्था.(वेतन-II) के पैरा 8.5 के प्रावधानों में छूट के संबंध में अनुदेश।

अनुलग्नक

क. लम्बित अंतर-मंत्रालीय परामर्श के कारण रूके हुए महत्वपूर्ण नीतिगत मामले :

ख. सचिवों की समिति के निर्णयों का अनुपालन : (31.10.2018 तक की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	**अनुपालन के लिए लंबित सचिवों की समिति के निर्णयों की संख्या**	**सचिवों की समिति के निर्णयों के अनुपालन के लिए प्रस्तावित कार्य योजना/समय-सीमा**	**अभ्युक्तियां**
I	सूचना प्रदाता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015	कोई समय सीमा नहीं	यह विधेयक अभी राज्यसभा में लंबित है।
II	झूठा दावा अधिनियम के विधायन का प्रारूपण	कोई समय सीमा नहीं	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 14.5.2018 को इस स्तर पर इस विषय में आगे अनुसरण न करने का निर्णय लिया है।

ग. तीन माह से अधिक समय से अभियोजन के लिए लंबित मंजूरी दिए जाने वाले मामलों की संख्या: 04

घ. ऐसे मामलों के ब्यौरे जिनमें कार्य संव्यवहार नियम अथवा सरकार की स्थापित नीति से हट कर कोई कार्रवाई की गई हो: शून्य

ड.. ई-शासन के कार्यान्वयन की स्थिति:

अक्तूबर, 2018 में शुरू की गई कुल फाइलों की संख्या	
पंरपरागत (भौतिक) रूप में शुरू की गई फाइलें : 469	ई-फाइलें : 26

च. लोक शिकायतों की स्थिति:

माह के दौरान निवारण की गई लोक शिकायतों की संख्या: 1445	माह के अंत में लम्बित लोक शिकायतों की संख्या: 1322

छ. मंत्रालय/विभाग द्वारा शासन और विकास में अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित उपकरणों और अनुप्रयोगों के प्रयोग के लिए उठाए गए विशिष्ट कदमों के संबंध में जानकारी : शून्य।